

MOST IMMEDIATE
RTI MATTER

F.No IV-11016/1/2009-Prov.II 656
Government of India/Bharat Sarkar
Ministry of Home Affairs/Griha Mantralaya
PM Division/Prov.II

26, Jaisalmer House, Man Singh Road,
New Delhi. Dated: 2nd March 2014.

To

Sh. Shyam Sunder Sharma
C/o Right to Information,
Task Force Office, Md. Khalil Sharki,
Near Amba Talkies Mode, Shahjahan Pur.


Subject :- Application seeking information under RTI Act 2005.

Sir

In reference to your RTI application dated 14.01.2014 received in this division from PP Division, MHA, with respected to point no. 5 it is intimated that no letter dated 14.06.2013, as referred by you, has been issued by the Provisioning Wing of MHA.

2. The appellate authority in respect of this matter under the RTI Act is Ms. Veena Kumari Meena, Joint Secretary, PM Division, Ministry of Home Affairs, 26, Man Singh Road, Jaisalmer House, New Delhi-110011, and the appeal, if any may be made within 30 days of the issue of this reply.

Yours Faithfully,



(S.K. Jain)

Director (Provisioning) & CPIO
Tel No 011 2338 6191

Copy for information to :-

I. RTI Cell, MHA.




Handwritten note:
21/3/14



सेवा में

मा० जनसूचना अधिकारी/गृह सचिव,
गृह मंत्रालय, भारत सरकार,
नई दिल्ली



पत्रांक सं०-503/सू०अ०अधि०-2005/शाहजहाँपुर

विषय:- सूचना का अधिकार अधिनियम- 2005 की धारा 6(1) के तहत आवेदन:-

महोदय,

निवेदन है कि प्रार्थी की जानकारी में आया है कि जन सूचना का अधिकार अधिनियम लागू होने के उपरान्त कतिपय प्रदेशों में आर०टी०आई० एक्टिविस्टों के ऊपर हमले की घटनाओं को दृष्टिगत कर आर०टी०आई० एक्टिविस्टों की सुरक्षा हेतु गृह मंत्रालय द्वारा दिनांक 14.6.2013 को कार्यवाही हेतु आदेश पारित किया गया है। चूंकि प्रार्थी भी आर०टी०आई० एक्टिविस्ट है जिस कारण प्रार्थी को उपरोक्त विषयक से सम्बन्धित निम्न जानकारी की आवश्यकता है।

अतः सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा 6(1) के तहत दी गई निर्धारित अवधि में निम्न सूचना उपलब्ध कराने की कृपा करें।

वांछित शुल्क 10/-रु० हेतु पॉच रुपये मूल्य के दो पोस्टल आर्डर सं०- $\frac{69C\ 747394}{69C\ 747395}$ मूल रूप में संलग्न हैं।

आपेक्षित सूचना का विवरण:-

1. आर०टी०आई० एक्टिविस्टों की सुरक्षा हेतु जन सूचना का अधिकार अधिनियम लागू होने से आज दिनांक तक किस-किस दिनांक को किस-किस नाम के अधिकारियों द्वारा आदेश पारित किये गये बताते हुए पारित आदेशों की छाया प्रति को प्रमाणित कर दो प्रतियों में उपलब्ध कराने की कृपा करें।
2. आर०टी०आई० एक्टिविस्टों की सुरक्षा हेतु पारित आदेशों का प्रभाव क्या सम्पूर्ण भारत वर्ष में है अथवा किसी प्रदेश में बताने की कृपा करें।
3. आर०टी०आई० एक्टिविस्टों की सुरक्षा हेतु पारित आदेशों का प्रभाव यदि किसी प्रदेश में नहीं है तो उस प्रदेश का नाम बताने की कृपा करें।
4. आर०टी०आई० एक्टिविस्टों पर होने वाले हमलों से एक्टिविस्टों को किस प्रकार की सुरक्षा उपरोक्त आदेश से प्राप्त होगी बताने की कृपा करें।
5. गृह मंत्रालय द्वारा दिनांक 14.6.2013 को आर०टी०आई० एक्टिविस्टों की सुरक्षा हेतु पारित आदेश की छाया प्रति को प्रमाणित कर दो प्रतियों में उपलब्ध कराने की कृपा करें।
6. क्या उत्तर प्रदेश में आर०टी०आई० एक्टिविस्टों से सम्बन्धित जनपद वार लिस्ट बनाई गयी है। यदि हाँ तो उत्तर प्रदेश के जनपद शाहजहाँपुर आर०टी०आई० एक्टिविस्टों से सम्बन्धित लिस्ट की छाया प्रति को दो प्रतियों में प्रमाणित कर उपलब्ध कराने की कृपा करें।

संलग्नक-

1. उक्त पोस्टल आर्डर मूल रूप में।

नोट:- यदि प्रार्थी द्वारा मांगी जा रही सूचना या उसके किसी अंश का सम्बन्ध किसी अन्य लोग/प्राधिकरण से हो तो कृपया सू०अ०अधि०-2005 की धारा 6(3) के नियमानुसार कार्यवाही करने की करें।

प्रार्थी

Shyam Sunder Sharma
श्याम सुन्दर शर्मा

C/O सूचना का अधिकार, टास्क फोर्स कार्यालय,
मा० खलील शर्की, निकट-अम्बा टाकीज मोड़,
शाहजहाँपुर

24/150
24/150

13/Jan/2014
030214

DAPT

24/150

17/1

